

प्रेषक,

रामनरायन

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-2, फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
फिरोजाबाद।

विषय- माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2020-21 के कॉलम संख्या-01 (g),04 में की गयी विपरीत प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 01-04-2020 से दिनांक 16-10-2020 तक अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फिरोजाबाद एवं दिनांक 17-10-2021 से 31-03-2021 तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-2, फिरोजाबाद के पद पर कार्यरत रहा। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2020-21 पोर्टल पर दिनांक 15-06-2021 को डाला गया जिसका मेरे द्वारा दिनांक 18-06-2021 को अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सैल्फ असिस्मेंट 2020-21 के कॉलम संख्या-01 (g),04 में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह अंकित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विहित यूनिट 1200 के सापेक्ष 1095.95 यूनिट्स कार्य किया है जो कि अपर्याप्त है तथा कॉलम संख्या-04 में अंकित किया गया है कि अधिकारी द्वारा विहित यूनिट को पूरा करने में कोई कष्ट नहीं उठाया तथा अधिकारी को सलाह दी जाती है कि प्राचीन वादों के निस्तारण में अधिक रुचि लें।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा की गयी प्रविष्टि को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी द्वारा प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 24-06-2021 पर विचार किए बिना निम्नादेश किया गया है- "He is a good officer" overall Assessment is "good." परन्तु माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी द्वारा 1200 यूनिट के सापेक्ष 1095.95 यूनिट एवं प्राचीन वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में जो प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी थी उस पर कोई विचार नहीं किया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक संख्या-No.c-671/CF(B)/2021 दिनांकित 17 जुलाई 2021 में यह कहा है कि "In case officers find shortfall in their out-turn because of the irregular working of the courts during the pandemic period in Assessment Year-2020-21, the sympathetic view be taken by the Assessing Authorities and they may ignore the shortfall treating the same as no adverse.

इस सम्बन्ध में प्रार्थी का कथन है कि कोरोना के कारण लॉक डाउन जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मेरे द्वारा पाँच वर्ष पुराने वादों में से पाँच वादों का निस्तारण किया गया तथा दस वर्ष पुराने वादों में से भी दो वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल सात पुराने वादों का निस्तारण किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-1687/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 18 December-2020 के अनुपालन में दिनांक 02-01-

2021 से सभी न्यायालय न्यायिक कार्य हेतु खोल दिये गये थे इससे पहले लॉक डाउन के कारण केवल अति आवश्यक कार्य करने की ही अनुमति दी गयी थी। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अनुमति से ही आवश्यक मामलों में साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु अनुमति दी गयी थी। लॉक डाउन के कारण साक्षी न्यायालयों में उपस्थित नहीं हो रहे थे और उत्पीडनात्मक कार्यवाही करने हेतु निषिद्ध किया गया था जिसके कारण पत्रावलियाँ परिपक्व नहीं हो पायीं और न ही बहस के स्तर पर पहुँच पायीं जिस कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित यूनिट पूरी नहीं की जा सकी। मेरे द्वारा वादों के निस्तारण करने के प्रयास में कोई कमी नहीं की गयी बल्कि पूर्ण प्रयास किया गया। मेरी 17 वर्ष 03 माह 05 दिन की सेवा अवधि के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विहित यूनिट के सापेक्ष वादों के निस्तारण में कभी भी कम यूनिट नहीं हुई अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित यूनिट्स को सदैव पूरा किया गया है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए वार्षिक प्रविष्टि के कॉलम 01(g),04 में अंकित प्रविष्टि को हटाकर कॉलम संख्या-2 overall Assessment में अंकित प्रविष्टि "Good" के उन्नयन (Upgrade) के सम्बन्ध सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र रखने की कृपा की जाये।

दिनांक-19-07-2021

भवदीय,

(रामनारायन)

अपर जिला सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-2, फिरोजाबाद।

संलग्नक-

- 1- पाँच वर्ष से अधिक पुराने निस्तारित वाद।
- 2- दस वर्ष से अधिक पुराने निस्तारित वाद।